प्रधान कार्यालय :
मंगलादेवी मंदिर मार्ग
डा.पे.सं.88
मंगलूर - 575 001

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank
भारत सरकार का उद्यम A Govt. of India Enterprise

Head Office :
Mangaladevi Temple Road
P.B. No. 88
MANGALORE - 575 001

निवेशक सेवा विभाग
INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

संदर्भ सं. Ref. No.नि.से.वि.ISD:78 :2016-17

04th June 2016

To, **BSE Ltd,** Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001 Email: corp.relations@bseindia.com http://listing.bseindia.com –Listing Centre **Ref: Code No.532179**	To, The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051 **https://www.connect2nse.com**-NEAPS **Symbol: CORPBANK**

प्रिय महोदय Dear Sir,

Notice of the ensuing Nineteenth Annual General Meeting of the Bank

We are forwarding herewith "Notice for the ensuing Annual General Meeting" taking place on the 29th June 2016, requesting you to upload the same on the official website of the exchange for the information of the Shareholders.

This information is furnished under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

भवदीय Yours faithfully,

एस. के. दाश S. K. Dash,
उप महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)
Deputy General Manager (Company Secretary)

Encl.: As above.

तार/Grams : CIBICI, फैक्स/Fax: 0824-2444617/2425233
टेलेक्स Telex : 0832-321 CBHO IN 0832-228 BANK IN
email: query@corpbank.co.in

✆ : 2426416-2426420, 2427911-2427913, 2421575
2421685, 2444990 to 2444993 (PBX 14 Lines)
2425233

कृपया हमसे संपर्क करें Do visit us at www.corpbank.in

कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय: मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूरु – 575 001
दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की उन्नीसवीं वार्षिक महासभा **बुधवार, 29 जून, 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे**, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूरु –575 001, कर्नाटक राज्य में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद सं. 1: बैंक के 31 मार्च, 2016 के एकल एवं समेकित लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के समेकित लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **कार्पोरेशन बैंक**

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान: मंगलूरु
दिनांक: 24.05.2016

CORPORATION BANK
HEAD OFFICE : MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALURU – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Wednesday, 29th June 2016, at 10.30 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2016, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 24.05.2016

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने हेतु बैठक प्रारंभ होने **से कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **शुक्रवार, 24 जून 2016 को** कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगला देवी मंदिर मार्ग, मंगलूर-575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 24 जून, 2016 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक** या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित व्यक्तिही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और वह ही बैठक में वोट डालने के लिए पात्र होगा।

4. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, **शुक्रवार 24 जून, 2016 से बुधवार, 29 जून, 2016** (दोनों दिनों सहित) उन्नीसवीं वार्षिक महासभा के संबंध में तथा उक्तवार्षिक महासभा में

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS before** the date of the meeting, i.e. **on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 24th June, 2016.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank, with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangaluru – 575 001 Karnataka State, not later than **FOUR DAYS before** the date of the Meeting i.e., **on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 24th June, 2016.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Friday the 24th June, 2016** to **Wednesday the 29th June, 2016** (both days inclusive) in connection

भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी इसके लिए रिमोट इ-वोटिंग तथा वार्षिक महासभा बैठक में मतदान के लिए शेयरधारकों की पात्रता हेतु **23 जून, 2016** को **कट-ऑफ** तिथि माना जायेगा।

5. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति ''प्रॉक्सी'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'', जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करना चाहिए।

6. सूचना तामिल करना

19वीं वार्षिक महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें 19वीं वार्षिक महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है।

7. नोटिस में दिया गया व्यवसाय कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोटिंग की सुवधा बैंक उपलब्ध करायेगा

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग

क) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को 19वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने म ताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)।

ब) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने

with the Nineteenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting, for which **23rd June, 2016** be treated as **cut off date** for entitlement of shareholder for remote e-voting or voting in the Annual General Meeting.

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. Serving of Notice

Electronic copy of the Notice of the 19th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 19th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form, are being sent in the permitted mode.

7. The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means.

Voting through electronic voting system

a) In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 19th Annual General Meeting (AGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').

b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast

वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग(इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे ।

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने/उनका/उनकी विवेक के अनुसार कर सकते हैं –

घ) बैंक ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) को नियुक्त किया है।

ङ) मतदान अधिकार की गणना कट ऑफ तिथि अर्थात 23 जून, 2016 को सदस्य/लाभार्थी स्वामी द्वारा धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के ले पात्र नहीं होगा।

च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि 23 जून, 2016 को दर्ज होगा वही रिमोट ई-वोटिंग/इंस्टा पोल को लिए पात्र होगा।

छ) एक व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि 23 जून 2016 को शेयर धारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

isd@corpbank.co.in को लिखकर या शेयरधारिता प्रमाणिकरण के साथ डाकद्वारा या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. को vlakshmi.p@karvy.com को ई-मेल करके ई-वोटिंग के समाप्त होने से पर्याप्त पहले लिखकर ।

ज) रिमोट ई-वोटिंग **25 जून, 2016** (प्रातः10 बजे) से शुरू होकर **28 जून, 2016** (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट इ-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। **23 जून, 2016** (कट-आफ) को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट इ-वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility at his/her/their discretion, subject to compliance with the instructions prescribed below.

d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the cut-off date i.e. June 23, 2016 subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 23rd June, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / Insta Poll.

g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. June 23, 2016, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

By writing to the Bank at **isd@corpbank.co.in** or by post with authenticated proof of shareholding or write to KARVY Computershare Pvt. Ltd. at vlakshmi.p@karvy.com, sufficiently before the closing of the remote e-voting.

h) The remote e-voting period commences on **25th June, 2016** (10:00 a.m.) and ends on **28th June, 2016** (5:00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **23rd June, 2016** (**cut off date**), may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

झ) संयुक्त धारकों के मामले में, लागिन आइडी/यूजर आइडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तदनुसार प्रथम शेयर धारक को भेजे गए यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट इ-वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्त शेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।

ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।

त) **मेसर्स इजेडवाई लाज, मुंबई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट (बार काउंसिल पंजीयन सं. एमएएच/5718/2011)** को इंस्टपोल तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र-निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियक्ति हेतु अपनी सहमति दी है एवं इस हेतु उपलब्ध रहेंगे।

थ) मतपत्र-निरीक्षक पहले बैठक मे हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेतु इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा.

द) घोषित परिणाम को मतपत्र-निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट **www.corpbank.com** तथा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम का स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

ध) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि 29 जून, 2016 को जारी मान लिया जायेगा।

न) **रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश एवं अन्य सूचनाएँ निम्नानुसार है:**

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नवत है:

I क. यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ईमेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):

i) In case of Joint holders, login ID/User ID and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

k) **Mr. Ankur Kumar, Advocate** (Bar Council Registration No. **MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai),** has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Insta Poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.

l) The Scrutinizer shall, first count the votes cast at the meeting (insta votes), thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.

m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).

n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. June 29, 2016.

o) **Instructions and other information relating to remote e-voting:**

The instructions for remote e-voting are as under:

I A. In case a shareholder receives an email from Karvy Computershare Pvt. Ltd., the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:

i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और **https://evoting.karvy.com**' में नैविगेट करें।

ii) पोस्टल बैलट फार्म में उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र- आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- क) एनएसडीएल के लिए:- 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिए:- 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए:- • EVEN उसके बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ईमेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण/वर्तमान पासवर्ड के लिए **ई-वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.** की टोल फ्री सं. 1800 345 4001 पर संपर्क करें।

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर गरखने वाले सदस्य अब जूव पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं । आप अपने संपर्क ब्यौरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। **इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्तिको न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।**

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी ई-वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' विकल्प

i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to **https://evoting.karvy.com**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id & password) mentioned in the e-mail /on the Attendance slip. Your folio/DP Client ID will be your User-ID.

User – ID	For Members holding shares in Demat Form:- a) For NSDL :- 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form:- • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via email
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of **e-Voting Platform provider, i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,** for any further clarifications.

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.

vii) You need to login again with the new credentials i.e. with new password etc..

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/

होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को "CONFIRM" करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ईमेल के ज़रिए **evoting@karvy.com** को प्रति अंकित करते हुए **evoting@ezylaws.com** पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name.....EVEN" फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. यदि किसी शेयरधारक को वार्षिक महासभा (एजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं)

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।
EVEN (ई वोटिंग ईवेंट नंबर)
यूज़र आईडी पासवर्ड

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक (i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयर धारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ

ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/voting right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezylaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com**. The file should be named in the format of "the body corporate Name---------- ----------EVEN ----------". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the remote e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of remote e-voting, the remote e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Annual General Meeting (AGM) [for shareholders whose email IDs are not registered with the Bank/ Depository Participant(s) or requesting physical copy]:

i) Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:
EVEN (E-Voting Event Number)
USER ID PASSWORD

ii) Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

II In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy

ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

8. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। इस संबंध में बैंक समय-समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए।

निवेशकों को बतौर सेवा बैंक यह अनुरोध करते हुए नियमित अंतरालों में अनुस्मारक पत्र भेजता रहा है कि वे लाभांशों का दावा करें।

9. शेयरधारकों से निवेदन

क) **तुलनपत्र की प्रतियाँ**

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

ख) **शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन**

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) **पता या ई-मेल आईडी में परिवर्तन**

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, कार्वि सेलेनियम टॉवर- बी, प्लाट सं. 31 व 32,

Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received Dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent, for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time to time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of Dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013.

As a matter of service to shareholders, Bank has been sending reminders to shareholders at regular intervals requesting them to claim the same.

9. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) **Copies of Balance Sheet**

Shareholders are requested to note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

(B) **Dematerialisation of shares**

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

(C) **Change of address or e-mail ID**

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Karvy Selenium Tower-B, Plot Nos. 31 & 32,

वित्तीय जिला, गाचिबोवली, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 को।

- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि बैंक ई–मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई–मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) **खातों संबंधी सूचना**

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम–से–कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर – 575 001, कर्नाटक राज्य को लिखें ताकि बुधवार, 22 जून, 2016 को शाम 5.00 बजे तक प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) **फोलियो का समेकन**

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्त नाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

च) **स्थिति में परिवर्तन**

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

क) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्यौरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

छ) **शेयरधारकों के मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल

Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 in case shares are held in physical form.

- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/ update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) **Information on Accounts**

Shareholders seeking any information/clarification with regard to annual accounts are requested to address their letters to the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangaluru – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by Wednesday, 22nd June, 2016 by 5.00 p.m., to enable the Bank to keep the information ready.

(E) **Consolidation of Folios**

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) **Change of Status**

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(G) **Voting Rights of Shareholders**

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central

मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के खण्ड 68(i) के अनुसार, वार्षिक महासभा की तारीख से पहले रजिस्टर की बंदी की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट हेगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

ज) **अन्य सूचना**

क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 36 के प्रावधानों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाई है, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि 19वीं वार्षिक महासभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट www.corpbank.com पर भी उपलब्ध होगी। पूर्वोक्त दस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ निरीक्षण हेतु कार्यदिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान मंगलूरु में बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। ई-संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ईमेल आईडी **isd@corpbank.co.in** को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।

ख) शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 24.05.2016

Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the date of the closure of the Register, prior to the date of the Annual General Meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(H) **Other information**

a) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report to all the shareholders who have registered their email ids with their Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the provisions of Regulation 36 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. However, Members may note that the Notice of the 19th Annual General Meeting and the Annual Report for 2015-16 will also be available on the Bank's website www.corpbank.com for their download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Mangaluru, for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated email ID - **isd@corpbank.co.in** or by post.

b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place : Mangaluru
Date : 24.05.2016

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूरु – 575 001

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम, राज्य के जिले केका/के निवासी **कार्पोरेशन बैंक** का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा राज्य केजिले के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी श्री/श्रीमतीको **बुधवार, 29 जून, 2016 पूर्वाह्न10.30 बजे को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु** में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की **उन्नीसवीं महासभा** में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

..... माह के दिन, 2016 को हस्ताक्षरित।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

.....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

.....
प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

.....

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि,
 क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
 ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मज़िस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
 क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति **उन्नीसवीं** महासभा प्रारंभ होने की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् **शुक्रवार, 24 जून, 2016** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. **कार्पोरेशन बैंक** के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो ।

Corporation Bank

Head Office : Mangaluru – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. CBE (If not Dematerialised)
DPID No.
Client ID No. (If Dematerialised)

I/We, Resident ofin the District of in the State of.....being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. resident of ……..……..... in the district ofin the State of.....or failing him/her, Shri/Smt.resident of in the District of in the State of as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Wednesday, 29th June, 2016, at 10.30 a.m. at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALURU and at any adjournment thereof.

Signed this …….. day of …… 2016.

Please affix fifteen paise revenue stamp

..... Signature of the Proxy

..... Signature of the first holder/sole holder

Name :

Address :

.....

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Nineteenth Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, 24th June, 2016.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

कार्पोरेशन बैंक
CORPORATION BANK

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग
Head Office: Mangala Devi Temple Road
मंगलूर MANGALURU-575001

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
FOR NINETEENTH ANNUAL GENERAL MEETING
उन्नीसवीं वार्षिक महासभा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

दिनांक: 29 जून, 2016 समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे स्थान : सभागृह, सहस्राब्दि भवन कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय मंगलूर – 575 001	**Date : 29th June, 2016** **Time: 10.30 A. M.** **Place: Auditorium, Millennium Building** **Corporation Bank, Head Office,** **Mangaluru-575001**

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP
(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

……..…….
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

……X……

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/प्रॉक्सीProxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

EVSN (E – Voting Sequence Number)	USER ID	PASSWORD

NOTE : Please follow the e-voting instructions mentioned in the Annual Report

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी, प्रवेश आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्यधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।
पुनश्चः बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जाएंगे। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।
Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.
P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Copies of the Annual Report will not be distributed at the venue.